

न्यायालय अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़
पीठासीन अधिकारी

करतार सिंह पूनियाँ आर०ए०एस०

प्रकरण सं० 30/अपील/19

तारीख दायरा 03.01.19

आजाद आ० बाबूभाई निवासी पनवाड़ तहसील खानपुर जिला झालावाड़

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार खानपुर

रेस्पोंडेन्ट

अपील बनाराजगी आदेश तहसीलदार खानपुर दिनांक 26.10.12 मि०न० 288/12

उपस्थित:-

--: निर्णय ::-

दिनांक 20.06.19

अपीलान्ट ने यह अपील जयें अभिभाषक तहसीलदार खानपुर के आदेश दिनांक 26.10.12 से अप्रसन्न होकर प्रस्तुत की गई है- अपील में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरुद्ध एवं पत्रावली सग्रहसार के सर्वथा विरुद्ध होने से निरस्तनीय है- अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम पनवाड़ तहसील खानपुर की आराजी ख०न० 232 की 3 बीघा भूमि किस्म गै०मु० रास्ते पर अतिक्रमण मानकर 330/- जुर्माना व 2 माह के सिविल कारावास की सजा दी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सबूत सुनवाई का मौका दिये एक तरफा निर्णय पारित किया गया है-अपीलान्ट को सुनवाई का समूचित अवसर भी नहीं प्रदान किया गया जबकि अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजी पर से अतिक्रमण हटा लिया गया है और पेनल्टी की राशि भी जमा करा दी है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अवधि मध्य मानी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.10.12 निरस्त फरमाया जावे।

अपील सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगावाई गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट एवं अपीलान्ट आज न्यायालय समय समाप्त होने तक भी हाजिर अदालत नहीं हुए हैं- अतः हम इस अपील को अदम हाजरी में खारिज करने की बजाय इस अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाना उचित समझते हैं।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजा को देखा-अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से मालूम होता है कि अपीलान्ट द्वारा पुनः सार्वजनिक उपयोग गै०मु० रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, उक्त अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में आता है- अपीलान्ट के विरुद्ध पश्चातवर्ती अतिचार सन्देह से परे साबित है, ओर ना ही उसके द्वारा कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है जिससे साबित हो कि उसके द्वारा उक्त आराजी पर से कब्जा हटा लिया है। अतः अपीलान्ट इस अपील के माध्यम से किसी तरह की राहत पाने का पात्र नहीं है। अपील अपीलान्ट सारहिन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ लोटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20.06.19 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



करतार सिंह पूनियाँ
अति० जिला कलक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़
झालावाड़ (राज.)